न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

मनरेगा सेवा अपील वाद संख्या–121/2011 मृत्युंजय कुमार वनाम राज्य

– :: आदेश :: –

उप विकास आयुक्त; सहरसा द्वारा निर्गत अपीलार्थी श्री मृत्युंजय कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक, सौरबाजार को से वर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक – 709/गो0 दिनांक 24.11.2011, अपील आवेदन पत्र एवं उभय पक्ष के तर्कों को सुना।

अपील आवेदन की कंडिका – 12 में उल्लेख किया गया है कि "That is not duty of appellant to paid th amount to the labour" साथ ही कंडिका – 14 में उल्लेख किया गया है "That the order of the DDC disclose that scheme no-2/2010-11 has been enquired by the enquiry authority. It is also alleged tha labour have claimed that they have not worked and they have not taken payment and Govt money has been misappropriated. It is also mentioned in the order that there is no mention i job card & muster roll. when payment is pending so no question of misappropriation of Govt money has been arisen"

कंडिका के 15 में उल्लेख किया गया है "That up till now out of 98700/- of total scheme, onl 47942/- work has been done and final MB has not been prepared because work is going on"

कंडिका 16 में उल्लेख किया गया है "That the enquiry authority has measured that 362 ft. wor has been done when appellant has given measurement MB of 350 ft. work only. Enquir authority has also measured the Pradhan Mantri Sarak Yojna of 12 ft. Which the appellan has mentioned in the show cause.

ग्रामीण विकास विभाग, पटना द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार से संबंधित निर्गत प्रशासनिक एवं तकनीक मार्गदर्शिका की कंडिका – 22 में पंचायत तकनीकी सहायक के दायित्व में 100 प्रतिशत स्कीमों का नियमित निरीक्षण, जॉब कार्डधारि द्वारा कार्य सुनिश्चित कराना, मास्टर रौल एवं जॉब कार्ड में प्रवृष्टियों तथा भुगतान का सत्यापन करना स्पष्ट रूप से अंकित करना है।

अतः अपील आवेदन की कंडिका – 12 में अपीलार्थी का यह कहना कि मजदूरों को मजदूरी भुगतान करना अपीलार्थी क दायित्व नहीं है, सही नहीं है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान मास्टर रॉल के आधार पर किया जाता है। मास्टर रौल का सत्याप अपीलार्थी द्वारा किया गया है। मास्टर रौल में कई ऐसे मजदूरों का नाम शामिल है, जिनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट कि अपीलार्थी फर्जी भुगतान कराने में संलिप्त है।

कंडिका – 14 में यह उल्लेख किया गया है कि मजदूरों ने मजदूरी नहीं किया है एवं मजदूरी का भुगतान भी उन्हें नहीं कि गया । अतः सरकारी राशि का Misappropriation नहीं हुआ।

फर्जी मास्टर रौल का सत्यापन अपीलार्थी द्वारा किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की मंशा सरकारी राशि के गबन थी। अपीलार्थी के अपील की कंडिका – 15 एवं 16 स्वतः प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी ने ससमय कराये गये कार्य की मापी नहीं क परिणामस्वरूप जाँच दल के द्वारा सड़क में मिट्टी भराई कार्य की मापी, मापीपुस्त में प्रवृष्ट मिट्टी से 6903 घनफीट अधिक पाया गय अपीलार्थी का यह कहना है कि जाँच दल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कराए गये मिट्टी के कार्य का भी मापी ले लिया। मान्य न किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी ने अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने दायित्व का निवर्हन नहीं किया। इसकी मंशा सरकारी राशि के गबन रही। अतः अपील आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

लेखापित ।

जिलाधिकारी,
सहरसा।

06.9.14

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक...../जिला विधि, सहरसा, दिनांक– वीं जुलाई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– संबंधित मूल अभिलेख संलग्न करते हुए उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी, सौरबाजार को सूचनार्थ प्रेषित।

06/09/14.

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

ज्ञापांक 1671-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 06 वीं जुलाई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

06/09/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

6/9/14